

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
वनादेश संख्या 10 /1-13 देहरादून दिनांक 13 सितम्बर, 2022.

स्थानान्तरण आदेश

प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता के पत्रांक 764/1-13 दिनांक 05.09.2022 के अनुरोध पत्र एवं मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 191/1-13 दिनांक 05.09.2022 द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर श्री दाताराम कुकरेती, उप वन क्षेत्राधिकारी का स्थानान्तरण उनकी स्वेच्छा से "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017" की धारा-21(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून से प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता (वन आरक्षी प्रशिक्षण केन्द्र, रामपुरमण्डी में अनुदेशक के कार्य हेतु) में किया जाता है।

उक्त स्थानान्तरण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

Signed by Vinod Kumar

Date: 12-09-2022 17:38:58

(विनोद कुमार)
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या 1/6523/2022 /1-13 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2. मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता को उनके पत्रांक 764/1-13 दिनांक 05.09.2022 के क्रम में।
6. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. गार्ड बुक।

(विनोद कुमार)
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड, देहरादून।